उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन विस्तार, 14 –अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

UP RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
Shakti Bhawan Extn., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001
(A UP GOVERNMENT UNDERTAKING)

सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आपूर्ति एवं कार्य से सम्बन्धित समस्त ठेकेदारों/फर्मो/कम्पनियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण में रुपये तीस लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं एवं निगम मुख्यालय की समस्त निविदायें दिनांक 01 अगस्त, 2014 से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही कराई जायेंगी। ई–टेण्डरिंग में भाग लेने हेतु समस्त ठेकेदारों/फर्मो/कम्पनियों को निर्धारित आवेदन पत्र, जो उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेबसाइट www.uprvunl.org / www.uplc.in पर उपलब्ध है, में आवेदन कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके लिये रु0 1500/– एवं अनुमन्य सर्विस टैक्स शुल्क देना होगा तथा रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसके लिये रु0 6,000/– शुल्क मैसर्स यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ में जमा कराना होगा।

सूचनीय है कि मै0 यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने हेतु उत्पादन निगम की फर्मो के लिये 01 जुलाई, 2014 से 15 जुलाई, 2014 के मध्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें भाग लेकर पंजीकरण कराने की कार्यवाही भी करवा सकते हैं एवं प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सूचना/जानकारी हेतु निम्न पते पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है:–

1. उपमहाप्रबन्धक/वैब मास्टर
यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0
चन्द्रभानु गुप्ता बिल्डिंग
10, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001.
दूरभाष नं0 : 0522–2288750/4130303/305/306/307.
2. श्री सुनील कुमार सिंह
अधीक्षण अभियन्ता (रिफार्म)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ
मोबाईल नं0 : 9415900267

इस सूचना के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि जिन ठेकेदारों/फर्मो/कम्पनियों द्वारा पंजीकरण नहीं कराया जाता है वह दिनांक 01.08.2014 से उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 मुख्यालय एवं उसकी परियोजना पर की जा रही ई–टेण्डरिंग में भाग नहीं लिया जा सकेगा जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

दिनांक 21.06.2014

एस0के0 सिंह
अधीक्षण अभियन्ता (रिफार्म)